भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 783
दिनांक 24 जुलाई, 2025

पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

†783. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी है जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, नियमित रूप से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) रीफिलिंग में वहनीयता संबंधी बाधाएं और निगरानी अथवा लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियां शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने, रीफिल की वहनीयता में सुधार लाने, डिजीटल निगरानी और लेखापरीक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश भर में गरीब परिवारों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को सतत रूप से अपनाया जा सके?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं के बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मई, 2016 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन्स हैं।

पहचान किए गए लाभार्थियों की संख्या और जारी किए गए कनेक्शनों की वास्तविक संख्या की तुलना में राज्यों/जिलों में एलपीजी कवरेज के संदर्भ में पीएमयूवाई के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जाती है। ओएमसीज द्वारा सामना की जा रही प्रारंभिक कठिनाइयाँ, जो मुख्यत: परिवारों की पहचान करने, दुर्गम स्थानों, एलपीजी की उपयोगिता के बारे में कम जागरूकता आदि से संबंधित थीं, के बावजूद देश में एलपीजी कवरेज, अप्रैल 2016 में 62% से सुधार होकर अब संतृप्ति के निकट पहुंच गई है।

स्कीम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और एलपीजी उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे का निराकरण करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पीएमयूवाई संबंधी जागरूकता बढ़ाने

के लिए अभियानों का आयोजन करना, कनेक्शन वितरण और नामांकन हेतु मेला/शिविरों का आयोजन करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नामांकन/जागरूकता शिविर शुरू करना, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं और उनके परिवारों के लिए आधार नामांकन करने तथा बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करना शामिल हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी खपत को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें, राजसहायता धनराशि से ऋण की वसूली में राहत, अपफ्रन्ट कैश आऊटगो में कमी करने के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलिंडर को 5 किलोग्राम के सिलिंडर से स्वैप विकल्प, लाभार्थियों को सतत आधार पर एलपीजी का उपयोग करने हेतु राजी करने, जनजागरूकता कैंप आदि के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत आयोजित करना शामिल है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 तक बढ़ गई है।

इसके अलावा, पीएमयूवाई लाभार्थियों के एलपीजी की खपत की निगरानी नियमित आधार पर पीपीएसी की खपत रिपोर्टों, कॉमन एलपीजी डाटा प्लेटफार्म (सीएलडीपी) और ओएमसीज के साथ बैठक के माध्यम से की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत खान-पान की आदतें, परिवार का आकार, खाना पकाने की आदतें, परंपरा, आस्वाद, स्वाद, वरीयता मूल्य वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपातिक) 200 रुपए 14.2 कि.ग्रा. प्रति सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की। अक्तूबर, 2023 में सरकार ने 300 रुपए 14.2 कि.ग्रा. प्रति सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता बढ़ा दी है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए/सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 553 रूपए प्रति सिलिंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 कि.ग्रा. के एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध है।

दिनांक 01 जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 25,573 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं जिनमें से 17,646 ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रही है। ये सेवाएं देश भर में अवस्थित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 213 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच में सुधार करने के लिए ओएमसीज ने देश भर में पीएमयूवाई योजना की शुरूआत से 7997 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2025 के दौरान कमीशन की है जिसमें से 93% अर्थात 7403 डिस्ट्रीब्यूटरशिप [रुरबन-1033, ग्रामीण-4991 दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी+आरजीजीएलवी) -1379] ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

*****